



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 22, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. पश्चिमी एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और परमाणु प्रसार के जोखिम	2
2. ब्रिटिश-भारतीय कनिष्ठ नारायण ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री नियुक्त	4
3. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने एशिया में ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट के तकनीक-संचालित विस्तार का खुलासा किया	5
4. तमिलनाडु महिला श्रम बल सहभागिता और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में नेतृत्व बनाए रखता है.....	7
5. जयशंकर आसियान बैठक के इतर मनीला में क्वाड समकक्षों से मिलेंगे	8
6. मध्य प्रदेश विधानसभा ने ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया.....	10
7. वैश्विक व्यवधानों से निपटने के लिए 1991 से तीन विदेश नीति के सबक	11
8. बारह वर्षों में केंद्रीय बजट में शिक्षा की घटती हिस्सेदारी.....	13
9. IISc की नई अल्ट्रासाउंड विधि मौखिक कैंसर के इलाज के लिए उम्मीद जगाती है	14
10. पहले प्रतिबंध, अब युद्ध: चाबहार बंदरगाह के लिए भारत की योजनाएं अधर में लटकीं	16
11. राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026: वंदे मातरम को ऊंचा दर्जा देना	18
12. न्यायाधीश के इस्तीफे का कानूनी विश्लेषण और न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत जवाबदेही	19
13. भारत ने कोर इंडस्ट्रीज के सूचकांक (ICI) को अपडेट किया: मुख्य परिवर्तन और निहितार्थ.....	21



1. पश्चिमी एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और परमाणु प्रसार के जोखिम

मुख्य बातें और सारांश

- **पिकऐक्स माउंटेन पर धमकियाँ:** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बयान दिया कि अमेरिकी सेना जल्द ही पिकऐक्स माउंटेन क्षेत्र पर हमला करेगी, जो ईरान के नतांज यूरेनियम संवर्धन परिसर के पास स्थित एक अत्यंत सुरक्षित भूमिगत स्थल है।

- **कथित परमाणु स्थानांतरण:** खुफिया आकलनों से संकेत मिलता है कि ईरान ने अपने परमाणु बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए यूरेनियम-संवर्धन सेंट्रीफ्यूज को पिकऐक्स माउंटेन के नीचे स्थित सुरंग परिसरों में स्थानांतरित कर दिया होगा।
- **भूमिगत सुदृढ़ीकरण:** विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुविधा ठोस चट्टान के नीचे 100 मीटर से अधिक गहराई में दबी हुई है, जिससे यह पारंपरिक हवाई बंकर-बस्टर गोला-बारूद के खिलाफ संभावित रूप से लचीली (सुरक्षित) बन जाती है।
- **क्षेत्रीय जवाबी कार्रवाई की चेतावनियाँ:** अमेरिकी चेतावनियों के जवाब में, ईरान के खातम अल-अंबिया केंद्रीय मुख्यालय ने घोषणा की कि उसके परमाणु स्थलों पर किसी भी हमले से पश्चिमी एशिया में अमेरिकी और मित्र राष्ट्रों के हितों के खिलाफ गंभीर जवाबी हमले भड़क उठेंगे।
- **व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष:** जारी टकराव लाल सागर में बढ़ते समुद्री नाकाबंदी, हौथी सैन्य कार्रवाइयों और वाशिंगटन में लेबनान के नेतृत्व से जुड़े कूटनीतिक वार्ताओं के साथ मेल खाते हैं।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **पिकऐक्स माउंटेन (कुह-ए कोलंग गज ला):** उन्नत सेंट्रीफ्यूज निर्माण और संभावित यूरेनियम संवर्धन असेंबली लाइनों को रखने के लिए निर्मित इसफ़हान प्रांत के पास एक भूमिगत ईरानी सुविधा।
- **यूरेनियम संवर्धन:** परमाणु रिएक्टरों या हथियार-ग्रेड सामग्री के लिए ईंधन का उत्पादन करने हेतु यूरेनियम-235 समस्थानिक के अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **परमाणु अप्रसार संधि (NPT):** परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका पालन करना ईरानी विदेश नीति का एक केंद्रीय विवाद बिंदु बना हुआ है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4):** सदस्य राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल का प्रयोग करने से रोकता है, जो निवारक हमलों (preemptive strikes) के आसपास की अंतरराष्ट्रीय कानूनी बहसों का आधार बनता है।

निष्कर्ष

ईरान के पिकऐक्स माउंटेन के खिलाफ बढ़ते खतरे पश्चिमी एशिया की नाजुक सुरक्षा वास्तुकला को रेखांकित करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय अप्रसार लक्ष्यों और एकतरफा निवारक सैन्य उपायों के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर करते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन II) के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत अत्यधिक प्रासंगिक, जिसमें भारत से जुड़े द्विपक्षीय और वैश्विक समूह, भारत के हितों को प्रभावित करने वाली विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति, तथा परमाणु प्रसार के मुद्दे शामिल हैं।

2. ब्रिटिश-भारतीय कनिष्ठ नारायण ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री नियुक्त

मुख्य बातें और सारांश

- कैबिनेट में पदोन्नति:** ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नेहम ने भारतीय मूल के लेबर सांसद कनिष्ठ नारायण को यूनाइटेड किंगडम का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री नियुक्त किया है, जिससे इस पोर्टफोलियो को कैबिनेट-स्तरीय पद पर पदोन्नति मिली है।
- ऐतिहासिक मील का पत्थर:** बिहार में जन्मे और जुलाई 2024 में वेल ऑफ ग्लैमॉर्गन के लिए संसद सदस्य के रूप में चुने गए नारायण ने पहले वेल्स के पहले अल्पसंख्यक सांसद के रूप में इतिहास रचा था।
- दोहरी संस्थागत भूमिका:** अपनी नई क्षमता में, नारायण कैबिनेट कार्यालय और व्यवसाय, नवाचार, विज्ञान और व्यापार विभाग दोनों में संयुक्त रूप से सेवा करते हैं, जबकि नियमित रूप से कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं।
- रणनीतिक एआई विजन:** नवनियुक्त मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा परिवर्तन और पुनरोद्योगीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया है, साथ ही सार्वजनिक विश्वास की रक्षा के लिए नियामक दृष्टिकोणों को संतुलित किया है।
- वैश्विक तकनीक संदर्भ:** यह नियुक्ति गूगल डीपमाइंड जैसी संस्थाओं के साथ-साथ तकनीकी संप्रभुता पर यूरोपीय बहसों को नेविगेट करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ब्रिटेन को एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के उसके व्यापक प्रयास के अनुरूप है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **एआई मंत्री (Minister for AI):** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के भीतर सरकारी नीति का मार्गदर्शन करने, तकनीकी ढांचों को विनियमित करने और नवाचार तथा सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए एक नामित मंत्रिस्तरीय कार्यालय।
- **तकनीकी संप्रभुता:** विदेशी संस्थाओं पर अत्यधिक निर्भरता के बिना अपनी महत्वपूर्ण तकनीकों, डिजिटल बुनियादी ढांचे और डेटा को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने, विकसित करने और सुरक्षित करने की किसी राष्ट्र या क्षेत्र की क्षमता।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **यूके मंत्रिस्तरीय कोड (UK Ministerial Code):** ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के भीतर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्रियों से अपेक्षित आचरण, जवाबदेही और सामूहिक जिम्मेदारी के मानकों को नियंत्रित करता है।
- **कैबिनेट सरकार सम्मेलन:** वह संवैधानिक सिद्धांत जिसके तहत कार्यकारी नीति निर्णयों पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट में मिलने वाले वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा सामूहिक रूप से विचार-विमर्श और निर्माण किया जाता है।

निष्कर्ष

ब्रिटेन के पहले कैबिनेट-स्तरीय एआई मंत्री के रूप में कनिष्ठ नारायण की नियुक्ति आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के बढ़ते भू-राजनीतिक और आर्थिक केंद्रीय स्थान को उजागर करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन II और III) के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध (वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियां) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीति, शासन और नैतिक आयाम) के तहत प्रासंगिक।

3. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने एशिया में ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट के तकनीक-संचालित विस्तार का खुलासा किया

मुख्य बातें और सारांश

- **तकनीकी विस्तार:** संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि दक्षिण पूर्व एशिया स्थित आपराधिक सिंडिकेट एशिया से बहुत आगे तक फैल रही तेजी से बढ़ती अवैध अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिए जनरेटिव एआई, मैलवेयर और डीपफेक सहित उन्नत तकनीक का लाभ उठा रहे हैं।

- **भारी आर्थिक नुकसान:** अकेले ट्रांसनेशनल साइबर घोटालों ने 2025 में अनुमानित संयुक्त आर्थिक नुकसान 88.3 बिलियन डॉलर से 114.1 बिलियन डॉलर के बीच उत्पन्न किया, जो साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के गंभीर वैश्विक पैमाने को रेखांकित करता है।
- **अवैध व्यापार का विविधीकरण:** आपराधिक नेटवर्क तेजी से साइबर ऑपरेशनों को पारंपरिक तस्करी के साथ मिला रहे हैं, जिसमें मानव शोषण, वन्यजीव तस्करी, सुलु-सेलेबेस समुद्री त्रिकोण में ड्रग्स की तस्करी, और औद्योगिक आकार के घोटाले वाले परिसरों में जबरन श्रम शामिल है।
- **कमजोर समूहों का शोषण:** रिपोर्ट में एआई-जनित बाल यौन छवियाँ, किशोरों के बीच ऑनलाइन जुए की लत, और एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफार्मों के माध्यम से वितरित जबरन ऑनलाइन आपराधिक दास्तां में खतरनाक उछाल पर प्रकाश डाला गया है।
- **वैश्विक सुरक्षा चुनौती:** म्यांमार, लाओस और कंबोडिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदराज के घोटाले वाले परिसरों के कारण कानून प्रवर्तन प्रतिक्रियाएं सीमित बनी हुई हैं, जिसके लिए समन्वित सीमा पार रणनीतियों की आवश्यकता है जो वित्तीय खुफिया और साइबर प्रवर्तन को एकीकृत करती हैं।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध (Transnational Organized Crime):** ऐसे व्यक्तियों के स्व-स्थायी संगठन जो हिंसा, भ्रष्टाचार या वाणिज्यिक उद्यम के माध्यम से अवैध बाजारों का शोषण करने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए वैश्विक स्तर पर काम करते हैं।
- **जनरेटिव एआई:** पाठ, चित्र, वीडियो या ऑडियो सिमुलेशन उत्पन्न करने में सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, जिसे आपराधिक नेटवर्क परिष्कृत फिशिंग और डीपफेक घोटालों को तैनात करने के लिए तेजी से हेरफेर कर रहे हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNTOC):** अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय साधन, जो सदस्य देशों को मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और न्याय में बाधा को अपराध घोषित करने के लिए बाध्य करता है।
- **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA):** डिजिटल और पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क से प्राप्त मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और संपत्ति को जब्त करने के लिए भारत में घरेलू कानूनी तंत्र।

निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अभियानों में जनरेटिव एआई और डिजिटल बुनियादी ढांचे का तेजी से एकीकरण वैश्विक सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व खतरा पैदा करता है, जिसके लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग और एकीकृत सीमा पार कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

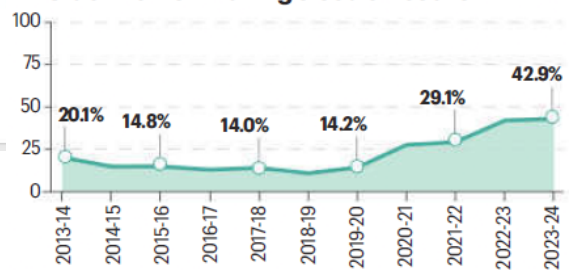
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन III) के तहत सुरक्षा चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा खतरे, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका, और साइबर सुरक्षा के लिए चुनौतियों के लिए प्रासंगिक।

4. तमिलनाडु महिला श्रम बल सहभागिता और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में नेतृत्व बनाए रखता है

मुख्य बातें और सारांश

- औद्योगिक नेतृत्व:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के हालिया आंकड़े महिला श्रम बल सहभागिता (FLFP) और महिला-नेतृत्व वाले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए भारत में अग्रणी राज्य के रूप में तमिलनाडु को उजागर करते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्चस्व:** तमिलनाडु में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल उत्पादों के निर्माण में सीधे तौर पर नियोजित सभी महिलाओं का 42.9% हिस्सा है, जो अन्य प्रमुख औद्योगिक राज्यों से काफी बेहतर प्रदर्शन करता है।
- शहरी केंद्र रैंकिंग:** तमिलनाडु के प्रमुख शहरी केंद्र, विशेष रूप से कोयंबटूर (41.3%) और मदुरै (37%), महिला कार्यबल मेट्रिक्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शुमार हैं, जो शहरी भारत के 27.7% के औसत से काफी ऊपर हैं।
- बुनियादी ढांचा समर्थन:** तमिलनाडु औद्योगिक संवर्धन निगम (SIPCOT) द्वारा केवल महिलाओं के लिए आवासीय परिसरों और औद्योगिक छात्रावासों की स्थापना जैसी राज्य-समर्थित पहलों ने महिला प्रवासी श्रम को आकर्षित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

● 43% of women making electronics are in TN



NOTE: DATA FOR DIRECTLY EMPLOYED WOMEN AS PERCENTAGE OF DIRECTLY EMPLOYED WORKERS, COVERS MANUFACTURE OF COMPUTER, ELECTRONIC, AND OPTICAL PRODUCTS
SOURCE: MoSPI

- **तुलनात्मक ठहराव:** जबकि तमिलनाडु जैसे राज्यों ने महिलाओं के लिए औपचारिक विनिर्माण रोजगार का सफलतापूर्वक विस्तार किया, वहीं गुजरात और कर्नाटक जैसे अन्य क्षेत्रों ने उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में स्थिर या विपरीत सहभागिता के रुझानों का अनुभव किया।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **महिला श्रम बल सहभागिता दर (FLFPR):** कामकाजी उम्र की महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु की) का प्रतिशत जो अर्थव्यवस्था के भीतर या तो वर्तमान में कार्यरत हैं या काम की तलाश में हैं और काम के लिए उपलब्ध हैं।
- **औपचारिक विनिर्माण रोजगार:** पंजीकृत कारखानों और संगठित औद्योगिक इकाइयों के भीतर की नौकरियां जो आम तौर पर संरचित मजदूरी, कानूनी सुरक्षा और श्रम नियमों का अनुपालन प्रदान करती हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **कारखाना अधिनियम, 1948:** भारतीय कारखानों में काम करने की स्थिति को विनियमित करता है, जिसमें महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा, कल्याण, काम के घंटे और नाइट-शिफ्ट रोजगार नियमों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
- **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976:** एक ही काम या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान करना अनिवार्य बनाता है, जो रोजगार में लैंगिक समानता के लिए एक मुख्य कानूनी स्तंभ बनता है।

निष्कर्ष

सुरक्षित आवास जैसी लक्षित सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ औद्योगिक विकास का तमिलनाडु का रणनीतिक एकीकरण पूरे भारत में महिला कार्यबल की सहभागिता को बढ़ावा देने और महिला-नेतृत्व वाले विनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन II) के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत को प्रभावित करने वाले और/या भारत के हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों और समझौतों, तथा विकसित और विकासशील देशों की नीतियों के तहत प्रासंगिक।

5. जयशंकर आसियान बैठक के इतर मनीला में क्वाड समकक्षों से मिलेंगे

मुख्य बातें और सारांश

- **मनीला मंत्रिस्तरीय जुड़ाव:** विदेश मंत्री एस. जयशंकर व्यापक आसियान-नेतृत्व वाले फ्रेमवर्क (जिसमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच शामिल हैं) के साथ-साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए फिलीपींस के मनीला का दौरा कर रहे हैं।
- **मैरीटाइम वर्ष का महत्व:** यह कूटनीतिक पहुंच भारत की एकट ईस्ट नीति को रेखांकित करती है, जो ऐसे समय में आई है जब 2026 को आधिकारिक तौर पर समुद्री सहयोग के आसियान-भारत वर्ष के रूप में नामित किया गया है।
- **इंडो-पैसिफिक सुरक्षा पहल:** मार्जिन पर चर्चा इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कॉरपोरेशन को चालू करने, डोमेन जागरूकता का विस्तार करने और इंडो-पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।
- **भू-राजनीतिक अंतरालों को नेविगेट करना:** अमेरिका, चीन और क्षेत्रीय साझेदारों से जुड़े विकसित कूटनीतिक गतिशीलता के बीच, क्वाड विदेश मंत्री रणनीतिक गठजोड़ को संबोधित कर रहे हैं और आगामी नेतृत्व शिखर सम्मेलनों के लिए समय सीमा तय कर रहे हैं।
- **आसियान अध्यक्षता थीम:** फिलीपींस क्षेत्रीय शांति, आर्थिक और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'नाविंग आवर फ्यूचर, टूगेदर' (Navigating Our Future, Together) थीम के तहत 2026 के लिए आसियान अध्यक्षता संभालता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद):** एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक संवाद।
- **मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA):** समुद्री डोमेन से जुड़ी किसी भी चीज़ की प्रभावी समझ जो सुरक्षा, संरक्षा, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारत के संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, और अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS):** महासागरों और समुद्रों की सभी गतिविधियों और उपयोगों को नियंत्रित करने वाला अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा, जो इंडो-पैसिफिक में नौवहन की स्वतंत्रता का आधार बनता है।

निष्कर्ष

क्वाड और आसियान मंत्रिस्तरीय बैठकों में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की भागीदारी इंडो-पैसिफिक गलियारे में बहुपक्षीय कूटनीति, क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

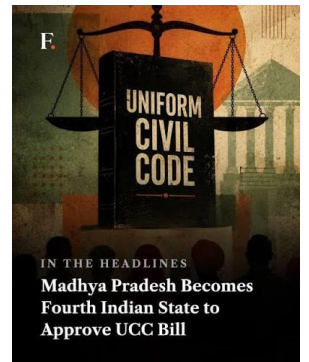
यूपीएससी प्रासंगिकता

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन II) के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते, तथा विकसित और विकासशील देशों की नीतियों के अंतर्गत प्रासंगिक।

6. मध्य प्रदेश विधानसभा ने ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया

मुख्य बातें और सारांश

- **विधायिका मील का पत्थर:** मध्य प्रदेश विधानसभा ने विपक्षी विधायकों के शोरगुल के बीच ध्वनि मत से मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 पारित किया।
- **दायरा और समावेश:** यह कानून पूरे राज्य में विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने वाले समान नागरिक नियमों को स्थापित करता है, जबकि विवाह, तलाक और लिव-इन साझेदारियों का पंजीकरण अनिवार्य करता है।
- **कुछ प्रथाओं का उन्मूलन:** यह विधेयक स्पष्ट रूप से तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को आपराधिक बनाता है, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है, और लिंग की परवाह किए बिना सभी बच्चों को समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान करता है।
- **बहिष्करण प्रावधान:** संवैधानिक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 342 और 366(25) के तहत कवर किए गए अनुसूचित जनजातियों को कानून के दायरे से कानूनी रूप से छूट दी गई है।
- **राजनीतिक धुवीकरण:** जहाँ सत्ताधारी प्रशासन ने इस विधेयक को राष्ट्रीय एकता और लिंग न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं विपक्ष ने समय की आलोचना करते हुए सरकार पर दबावपूर्ण कृषि और आर्थिक मुद्दों को दरकिनार करते हुए वैचारिक एजेंडा आगे बढ़ाने का आरोप लगाया।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **समान नागरिक संहिता (UCC):** भारत में व्यक्तिगत कानूनों को तैयार करने और लागू करने का एक प्रस्ताव जो उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।
- **लिव-इन रिलेशनशिप:** दो अविवाहित व्यक्तियों के बीच एक घरेलू सहवास व्यवस्था, जिसे नए कानून के तहत नामित राज्य अधिकारियों के पास औपचारिक रूप से पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 44:** राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) में से एक जो राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26:** अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देते हैं, जो अक्सर व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित बहसों को जोड़ता है।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक का पारित होना भारत के कानूनी परिदृश्य में एक वाटरशेड क्षण को चिह्नित करता है, जो व्यक्तिगत कानून सुधारों के साथ चल रहे संघीय प्रयोग को दर्शाता है और संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर बहसों को तेज करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन II) के तहत भारतीय संविधान - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा, साथ ही शासन, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित मुद्दों के अंतर्गत प्रासंगिक।

7. वैश्विक व्यवधानों से निपटने के लिए 1991 से तीन विदेश नीति के सबक

मुख्य बातें और सारांश

- **1991 के साथ ऐतिहासिक समानताएँ:** पश्चिमी एशिया और यूक्रेन में संघर्षों से जुड़े समकालीन भू-राजनीतिक झटके उन गहरे आर्थिक और रणनीतिक व्यवधानों को दर्शाते हैं जिनका सामना भारत को 1990-1991 के खाड़ी युद्ध और सोवियत संघ के पतन के दौरान करना पड़ा था।

- **स्थिरता की क्षणिक प्रकृति:** पहला मुख्य सबक इस बात पर जोर देता है कि शक्ति का कोई भी संतुलन स्थायी नहीं है, क्योंकि 1980 के दशक की अनुमानित द्विध्रुवीय निश्चितता रातों-रात गायब हो गई, जिससे यह साबित हुआ कि प्रणालीगत अप्रत्याशितता अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक स्थायी विशेषता है।
- **रुढ़िवादी सर्वसम्मति से बचना:** दूसरा सबक कठोर विदेश नीति की रुढ़ियों और संवादात्मक आसक्तियों के खिलाफ चेतावनी देता है, और नीति निर्माताओं से वैकल्पिक परिदृश्यों का अनुमान लगाने के लिए गहरी क्षेत्रीय विशेषज्ञता, विविध विशेषज्ञता और संस्थागत लचीलेपन में निवेश करने का आग्रह करता है।
- **घरेलू लचीलेपन की प्रधानता:** तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक इस बात पर प्रकाश डालता है कि बाहरी झटकों को केवल कूटनीति के माध्यम से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है; जिस प्रकार व्यापक घरेलू आर्थिक सुधारों ने 1991 में भारत को बचाया था, उसी प्रकार आधुनिक रणनीतिक जीवित रहने के लिए मजबूत आंतरिक आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता है।
- **वर्तमान अस्थिरता का प्रबंधन:** एक बड़ी अर्थव्यवस्था, विस्तारित कूटनीतिक प्रभाव और विविध साझेदारियों के कारण भारत वर्तमान में 1991 की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है, फिर भी उसे बढ़ती ऊर्जा लागतों और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **रणनीतिक स्वायत्तता:** प्रमुख वैश्विक शक्ति गुटों पर अत्यधिक निर्भर या उनके द्वारा निर्देशित हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति के निर्णयों और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने की किसी राष्ट्र की क्षमता।
- **शक्ति का संतुलन:** अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता का एक मॉडल जहाँ सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब सैन्य शक्ति इस तरह से वितरित की जाती है कि कोई भी एकल राज्य अन्य सभी पर हावी होने में सक्षम नहीं होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 51:** भारतीय राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, और स्वतंत्र विदेश नीति के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- **आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ:** राष्ट्रीय सुरक्षा संकटों के दौरान असाधारण वित्तीय और आपूर्ति व्यवधानों को प्रबंधित करने के लिए संघ को सशक्त बनाने वाले अनुच्छेद 352 और संबंधित विधायी ढांचे के तहत संवैधानिक प्रावधान।

निष्कर्ष

1991 के संरचनात्मक झटकों से रणनीतिक ज्ञान प्राप्त करना यह प्रदर्शित करता है कि भारत का बाहरी लचीलापन इसकी आंतरिक संस्थागत अनुकूलन क्षमता, आर्थिक सुधारों और व्यावहारिक विदेश नीति के विकल्पों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन II) के तहत भारत और उसके पड़ोसी-संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, तथा भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करने वाली नीतियों और राजनीति के अंतर्गत प्रासंगिक।

8. बारह वर्षों में केंद्रीय बजट में शिक्षा की घटती हिस्सेदारी

मुख्य बातें और सारांश

- **बजट रुझान विश्लेषण:** पिछले बारह वर्षों में, शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) को आवंटित केंद्रीय बजट का हिस्सा उल्लेखनीय गिरावट का गवाह बना है, जो 2013-14 में 4.6% से गिरकर 2025-26 में 2.5% हो गया है।
- **तुलनात्मक क्षेत्रीय प्राथमिकताएं:** इसके विपरीत, बुनियादी ढांचे में पूंजीगत निवेश में काफी वृद्धि हुई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आवंटित हिस्सा इसी अवधि के दौरान 1.8% से लगभग तीन गुना बढ़कर 5.8% हो गया।
- **कौशल विकास आवंटन:** स्किल इंडिया पहल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकरण पर जोर दिए जाने के बावजूद, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को समर्पित बजटीय हिस्सा 0.05% से 0.06% के आसपास बहुत कम बना रहा।
- **प्रणालीगत परीक्षा संकट:** जंतर-मंतर पर व्यापक सार्वजनिक जाँच और विरोध प्रदर्शनों ने प्रशासनिक जवाबदेही के मुद्दों को रेखांकित किया, जो पिछले एक दशक में लाखों नौकरी के उम्मीदवारों को प्रभावित करने वाले आवर्ती प्रतिस्पर्धी परीक्षा पेपर लीक से प्रेरित थे।

- दीर्घकालिक मानव पूंजी निहितार्थ: अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक शिक्षा में निरंतर कम निवेश से भारत के जनसांख्यिकीय लाभों और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक उत्पादकता से समझौता करने का जोखिम है।

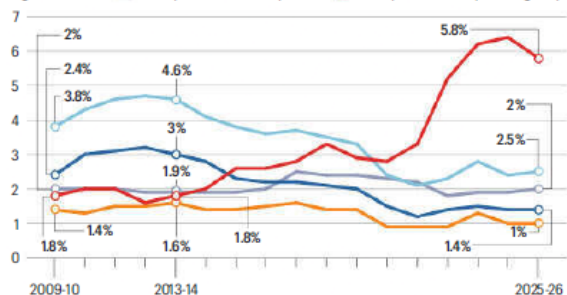
आवश्यक परिभाषाएँ

- बजट आवंटन हिस्सा:** किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में कुल केंद्रीय बजट के समग्र आकार के सापेक्ष किसी विशिष्ट मंत्रालय या क्षेत्र को सौंपा गया कुल सार्वजनिक व्यय का अनुपात।
- मानव पूंजी निर्माण:** लक्षित सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से मानव कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूल्यों के स्टॉक में जोड़ने की प्रक्रिया।

• WHERE THE GOVERNMENT CHOSE TO SPEND

The chart & tables show allocation to various ministries and departments as a % of total Union Budget

Ministry of Education* Department of School Education & Literacy Department of Higher Education Ministry of Health & Family Welfare Ministry of Road Transport & Highways



Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

2015-16	0.06%
2016-17	0.08%
2017-18	0.10%
2018-19	0.11%
2019-20	0.09%
2020-21	0.07%
2021-22	0.06%
2022-23	0.03%
2023-24	0.07%
2024-25	0.06%
2025-26	0.05%

*EARLIER CALLED MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT; SOURCE: CME, NDIAN EXPRESS RESEARCH

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- संविधान का अनुच्छेद 21A:** 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के बाद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी मौलिक अधिकार के रूप में देता है।
- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 45):** राज्य को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण को टिकाऊ, उच्च-गुणवत्ता वाले मानव पूंजी विकास में बदलने के लिए शिक्षा और संस्थागत शासन पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने के लिए राजकोषीय प्राथमिकताओं को पुनर्संतुलित करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन II) के तहत शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों, और पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े शासन के मुद्दों के अंतर्गत प्रासंगिक।

9. IISc की नई अल्ट्रासाउंड विधि मौखिक कैंसर के इलाज के लिए उम्मीद जगाती है

मुख्य बातें और सारांश

- **सफलतापूर्ण शोध:** बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के शोधकर्ताओं ने एम एस रमैया मेडिकल कॉलेज के सहयोग से, मौखिक कैंसर के इलाज में कम-आवृत्ति वाले अल्ट्रासाउंड (LFU) मैकेनोज़ोस्टिम्यूलेशन के संभावित अनुप्रयोगों की खोज की।
- **कैंसर कोशिकाओं की कमजोरी:** ट्यूमर के वातावरण की नकल करने वाले 3D सह-संस्कृति मंच का उपयोग करते हुए, अध्ययन में पाया गया कि प्रोटीन ट्रोपोनोमायसिन 2.1 (Tropomyosin 2.1) के कम स्तर के कारण मौखिक कैंसर कोशिकाएं LFU के प्रति चुनिंदा रूप से संवेदनशील होती हैं, जबकि सामान्य कोशिकाएं काफी हद तक प्रभावित नहीं रहती हैं।
- **भारत में व्यापकता:** चबाने योग्य तंबाकू उत्पादों के व्यापक उपयोग को देखते हुए, मौखिक कैंसर भारत में एक बड़ा स्वास्थ्य संकट है, जो विकसित देशों की तुलना में कम पाँच साल की जीवित रहने की दर के साथ सभी वैश्विक मामलों का लगभग 1/4 हिस्सा है।
- **लक्षित लाभ:** उच्च तीव्रता केंद्रित अल्ट्रासाउंड (HIFU) के विपरीत जो कोशिकाओं को जलाने के लिए गर्मी उत्पन्न करता है या पारंपरिक शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप, गैर-आक्रामक LFU दृष्टिकोण थर्मल दुष्प्रभावों और स्वस्थ आसपास के ऊतकों को होने वाले नुकसान को कम करता है।
- **व्यापक चिकित्सीय क्षमता:** इस नई तकनीक को अंततः स्तन कैंसर और मेलेनोमा जैसे अन्य सतही कैंसरों में भी विस्तारित किया जा सकता है, जो एक लागत प्रभावी और आसानी से निगरानी योग्य उपचार विकल्प प्रदान करता है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **कम-आवृत्ति अल्ट्रासाउंड (LFU) मैकेनोज़ोस्टिम्यूलेशन:** संवेदनशील कैंसर कोशिकाओं को चुनिंदा रूप से लक्षित करने और बाधित करने के लिए कम आवृत्तियों पर यांत्रिक ध्वनि तरंगों को लागू करने वाली एक गैर-आक्रामक चिकित्सीय तकनीक।
- **3D सह-संस्कृति मंच:** एक उन्नत प्रयोगशाला मॉडल जो चिकित्सा हस्तक्षेपों के परीक्षण के लिए वास्तविक ठोस ट्यूमर की जटिल 3D वास्तुकला और सूक्ष्म वातावरण की बारीकी से नकल करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के अधिकार, चिकित्सा देखभाल और किफायती जीवन रक्षक उपचारों तक पहुंच को शामिल करने के लिए व्याख्यायित किया है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) फ्रेमवर्क:** भारत में सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, कैंसर की रोकथाम और बुनियादी ढांचे के उन्नयन का समर्थन करने वाली व्यापक राष्ट्रीय नीति रूपरेखा।

निष्कर्ष

IISc द्वारा विकसित अभिनव LFU मैकेनोज़ोस्टिमुलेशन विधि सटीक ऑन्कोलॉजी की दिशा में एक आशाजनक कदम है, जो संभावित रूप से मौखिक कैंसर चिकित्सा में क्रांति ला सकती है और भारत में गैर-संचारी रोगों के बोझ को कम कर सकती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन III और II) के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में जागरूकता, और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे) और स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के अंतर्गत प्रासंगिक।

10. पहले प्रतिबंध, अब युद्ध: चाबहार बंदरगाह के लिए भारत की योजनाएं अधर में लटकीं

मुख्य बातें और सारांश

- **भू-राजनीतिक संवेदनशीलता:** ईरानी बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाले हालिया सैन्य हमलों और अमेरिकी प्रतिबंधों ने चाबहार बंदरगाह में भारत के रणनीतिक निवेश पर अनिश्चितता के बादल मंडरा दिए हैं।
- **रणनीतिक महत्व:** चाबहार पाकिस्तान को बायपास करने, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) तक सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है।
- **दीर्घकालिक समझौते का प्रभाव:** प्रतिबंधों के बावजूद सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने मई 2024 में शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को सुसज्जित और संचालित करने के लिए एक ऐतिहासिक 10-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, और स्थानीय संस्थाओं को अपनी निवेश प्रतिबद्धताओं का अग्रिम भुगतान किया था।

- **समय-समाप्ति छूट का प्रभाव:** चाबहार के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों की छूट की समाप्ति ने प्रत्यक्ष परिचालन नियंत्रण को प्रतिबंधित कर दिया है और क्षेत्रीय संतुलन को चीन के ग्वादर बंदरगाह जैसी प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं की ओर झुका दिया है।
- **बजट संबंधी प्रभाव:** बढ़ती भू-राजनीतिक बाधाओं और छूट की समाप्ति के बीच, केंद्रीय बजट 2026-2027 में चाबहार परियोजना के लिए कोई प्रत्यक्ष वित्तीय आवंटन नहीं किया गया, जिससे इसका तत्काल भविष्य अधर में लटक गया।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **चाबहार बंदरगाह:** ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर स्थित एक महासागरीय बंदरगाह, जिसे संसाधन संपन्न भू-आबद्ध मध्य एशियाई देशों के प्रवेश द्वार के रूप में भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC):** माल ढुलाई को सुविधाजनक बनाने और पारगमन समय को कम करने के लिए भारत, ईरान, रूस और मध्य एशिया को जोड़ने वाला एक बहु-मोडल परिवहन नेटवर्क।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 51:** भारतीय राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, और मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है।
- **प्रतिबंध छूट ढांचा:** अमेरिकी घरेलू कानून के तहत अंतरराष्ट्रीय कानूनी तंत्र जो अफगानिस्तान में आवश्यक मानवीय और क्षेत्रीय आर्थिक जरूरतों को पूरा करने वाली परियोजनाओं के लिए लक्षित छूट की अनुमति देता है।

निष्कर्ष

नवीनीकृत संघर्ष और समाप्त हो चुकी प्रतिबंध छूट के बढ़ते दबाव भारत की दशकों पुरानी कनेक्टिविटी योजना को खतरे में डालते हैं, जिसके लिए ईरान में रणनीतिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए चुस्त कूटनीतिक नेविगेशन की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन II) के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंध, और भारत की रणनीतिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर महाशक्ति राजनीति के प्रभाव के अंतर्गत प्रासंगिक।

11. राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026: वंदे मातरम को उंचा दर्जा देना

मुख्य बातें और सारांश

- विधायिका संशोधन:** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के दौरान राज्य सभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया।
- समान विधायी स्थिति:** प्रस्तावित कानून राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' के साथ राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को वैधानिक सुरक्षा और समान स्थिति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करना चाहता है।
- अपराधीकरण का अपमान:** संशोधित अधिनियम की धारा 3 में वंदे मातरम के गायन के दौरान जानबूझकर रोकथाम, व्यवधान या अनादर करने को तीन साल तक की कैद, जुर्माने या दोनों से दंडनीय अपराध बनाने का प्रस्ताव है।
- कार्यकारी दिशानिर्देश और सावधान-खड़े होने के मानदंड:** यह विधेयक पिछले गृह मंत्रालय के कार्यकारी निर्देशों को संहिताबद्ध करता है जो औपचारिक अवसरों पर राष्ट्रीय गीत बजाने की सलाह देते हैं, जिसमें दर्शकों को सावधान की मुद्रा में खड़े होने की आवश्यकता होती है।
- संवैधानिक और कानूनी बहस:** जहाँ सरकार राष्ट्रीय एकता और समानता पर जोर देती है, वहीं कानूनी विशेषज्ञ भाषण, अभिव्यक्ति और धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता के संबंध में अनुच्छेद 51A(a) और पिछले सुप्रीम कोर्ट के न्यायशास्त्र के तहत ऐतिहासिक भेदों पर प्रकाश डालते हैं।



आवश्यक परिभाषाएँ

- राष्ट्रीय गीत:** बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत और बंगाली में लिखी गई एक कविता 'वंदे मातरम', जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक रैली के नारे के रूप में ऐतिहासिक महत्व दिया गया है।

- **वैधानिक सुरक्षा:** एक अधिनियमित विधायी अधिनियम के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कानूनी सुरक्षा उपाय जो उल्लंघन या अनादर के लिए दंडात्मक परिणाम जोड़ते हैं, उन्हें केवल कार्यकारी सलाहकारों से अलग करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971:** केंद्रीय कानून जो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान सहित राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान या अनादर को दंडित करता है।
- **अनुच्छेद 51A(a) और अनुच्छेद 19(1)(a):** अनुच्छेद 51A(a) राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को स्थापित करता है, जबकि अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जो अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों द्वारा संतुलित है।

निष्कर्ष

2026 के संशोधन विधेयक की शुरुआत राष्ट्रीय प्रतीकों को मानकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण विधायी कदम को चिह्नित करती है, जो औपचारिक वैधानिक प्रवर्तन के साथ लंबे समय से चले आ रहे कार्यकारी दिशानिर्देशों को जोड़ती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन II) के तहत भारतीय संविधान - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा, साथ ही मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के अंतर्गत प्रासंगिक।

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

12. न्यायाधीश के इस्तीफे का कानूनी विश्लेषण और न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत जवाबदेही

मुख्य बातें और सारांश

- **संसदीय विचार:** आधिकारिक निवास पर जले हुए करेंसी नोटों की बरामदगी के बाद संसद मानसून सत्र के दौरान पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से संबंधित जांच समिति की रिपोर्ट की जांच करने के लिए तैयार है।
- **इस्तीफे की स्थिति:** 9 अप्रैल 2026 को इस्तीफा देने के बावजूद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और केंद्रीय न्याय विभाग की प्रशासनिक सूचियों ने उन्हें महीनों तक एक बैठे हुए न्यायाधीश के रूप में सूचीबद्ध करना जारी रखा, जिससे उनकी आधिकारिक स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हुआ।

- **इच्छा से इस्तीफा देने की शक्ति:** भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा (1978) में संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती के तहत, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पास कार्यकारी स्वीकृति की आवश्यकता के बिना अपनी इच्छा से इस्तीफा देने का अधिकार है।
- **हटाने की कार्यवाही का व्यपगमन:** चूंकि श्री वर्मा अब पद पर नहीं हैं, इसलिए न्यायिक पद से उन्हें हटाने का विशिष्ट प्रस्ताव व्यपगत हो गया है, जिससे जांच समिति की रिपोर्ट के कानूनी अस्तित्व और चर्चा के संबंध में सवाल उठते हैं।
- **न्यायिक जवाबदेही में खामी:** कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायाधीशों की बिना शर्त इस्तीफा देने की शक्ति एक ऐसा लोप (खामी) पैदा करती है जिससे हटाने की कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्तियों को सार्वजनिक जवाबदेही और संसदीय जांच से बचने की अनुमति मिलती है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **इच्छा से इस्तीफा देना:** किसी बाहरी प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता के बिना हस्ताक्षर किए गए पत्र को जमा करके तुरंत इस्तीफा देने के लिए विशिष्ट उच्च पदाधिकारियों का संवैधानिक विशेषाधिकार।
- **न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968:** वैधानिक ढांचा जो एक गठित समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कदाचार या अक्षमता की जांच और प्रमाण को नियंत्रित करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 217(1)(a):** उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपना पद छोड़ने की अनुमति देता है, जो एक्स प्रोप्रियो विगोर (स्वयं के बल पर) स्वचालित रूप से प्रभावी होता है।
- **न्यायाधीश (जांच) नियम और अधिनियम:** न्यायिक कदाचार की संसदीय जांच के लिए प्रक्रियात्मक तंत्र को नियंत्रित करता है, हालांकि यह न्यायाधीश के मध्य-प्रक्रिया में इस्तीफा देने पर जांच के भाग्य पर चुप रहता है।

निष्कर्ष

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का मामला इस्तीफे के अबाधित अधिकार के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और विधायी खामियों को दूर करने के बीच महत्वपूर्ण तनाव को उजागर करता है जो न्यायाधीशों को जवाबदेही से बचने की अनुमति देता है।

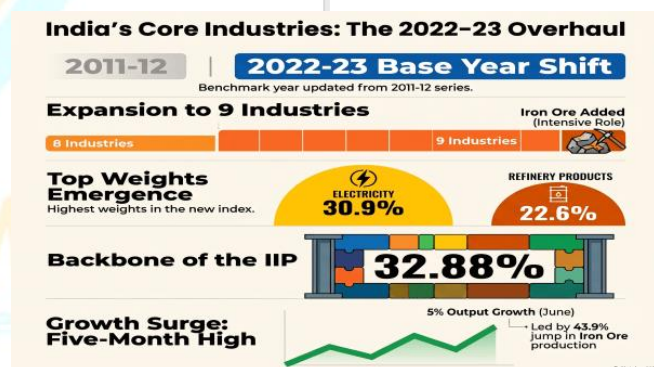
यूपीएससी प्रासंगिकता

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन II) के तहत भारतीय संविधान - न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज, साथ ही पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक नैतिकता से संबंधित मुद्दों के अंतर्गत प्रासंगिक।

13. भारत ने कोर इंडस्ट्रीज के सूचकांक (ICI) को अपडेट किया: मुख्य परिवर्तन और निहितार्थ

मुख्य बातें और सारांश

- **आधार वर्ष संशोधन:** केंद्र सरकार ने समकालीन औद्योगिक गतिविधि को प्रतिबिंबित करने के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करते हुए कोर इंडस्ट्रीज के सूचकांक (ICI) की एक अद्यतन श्रृंखला जारी की।
- **क्षेत्रों का विस्तार:** औद्योगिक उत्पादन में इसके गहन उपयोग के कारण लौह अयस्क को आधिकारिक रूप से शामिल किए जाने से कोर क्षेत्रों की संख्या आठ से बढ़कर नौ हो गई है।
- **भारत का पुनर्समायोजन:** क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भार समायोजन हुआ, जिसमें बिजली बढ़कर 30.92% हो गई और कोयले में 5.59% तथा प्राकृतिक गैस में 3.84% की नीचे की ओर संशोधन हुआ।
- **पद्धतिगत शोधन:** दोहरी गिनती को खत्म करने के लिए स्टील के उत्पादन की गणना अब शुद्ध उत्पादन के बजाय सकल उत्पादन के आधार पर की जाती है और कोयले की गणना विशेष रूप से कच्चे कोयले को माप¹⁰ है।
- **विकास मीट्रिक्स पर प्रभाव:** पुरानी और नई श्रृंखला के outputs की तुलना करते समय ऐतिहासिक भिन्नताएं मौजूद होने के बावजूद, 2025-26 के लिए मध्यम अवधि और दीर्घकालिक विकास के रुझान न्यूनतम शुद्ध विचलन दिखाते हैं।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **कोर इंडस्ट्रीज का सूचकांक (ICI):** भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में उत्पादन प्रदर्शन को मापने वाला एक मासिक आर्थिक संकेतक।

- **आधार वर्ष:** समय के साथ मूल्य मुद्रास्फीति के विरूपण को दूर करके आर्थिक डेटा की तुलना करने और वास्तविक विकास दरों की गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संदर्भ बेंचमार्क वर्ष।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008:** भारत में केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा आर्थिक और औद्योगिक आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रसार को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा।
- **व्यवसाय आवंटन नियम, 1961:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जैसे मंत्रालयों को प्रमुख औद्योगिक संकेतकों को ट्रैक करने और प्रकाशित करने के लिए सशक्त बनाता है।

निष्कर्ष

कोर इंडस्ट्रीज के सूचकांक को 2022-23 के आधार वर्ष में अपडेट करना और लौह अयस्क को शामिल करना मैक्रोइकॉनॉमिक निगरानी की सटीकता को बढ़ाता है, जिससे नीति निर्माताओं को बुनियादी ढांचे की योजना के लिए विश्वसनीय डेटा मिलता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य - सामान्य अध्ययन III) के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का संचयन, विकास, और औद्योगिक उत्पादन ट्रैकिंग से संबंधित मुद्दों के अंतर्गत प्रासंगिक।

